न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 182 / 2016

1 रामसिंह पुत्र श्री बख्तावर सिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नम्बर 5 सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.। दौराने अपील मृतक
1/1 कमला देवी पत्नी स्व. रामसिंह
1/2 रणधीर सिंह पुत्र स्व. रामसिंह
1/3 अजय सिंह पुत्र स्व. रामसिंह
1/4 सुमन कंवर पुत्री स्व. रामसिंह
1/5 विजय लक्ष्मी पुत्र स्व. रामसिंह
1/6 शीला कंवर पुत्री स्व. रामसिंह
2 अमरसिंह पुत्र श्री बख्तावर सिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नम्बर 5 सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज। दौराने अपील मृतक
2/1 रघुवीर सिंह पुत्र स्व. अमरसिंह
2/2 कानूसिंह पुत्र स्व. अमरसिंह
2/3 जीवण सिंह पुत्र स्व. अमरसिंह
2/4 अन्तर कंवर पुत्री स्व. अमरसिंह
2/5 कैलाश कंवर पुत्री स्व. अमरसिंह
2/6 मिथिलेश कंवर पुत्री स्व. अमरसिंह
2/7 कालू कंवर पुत्री स्व. अमरसिंह
2/8 हेमलता कंवर पुत्री स्व. अमरसिंह
3 महेन्द्र सिंह पुत्र श्री बख्तावर सिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नम्बर 5 सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 बजरंगलाल पुत्र स्व. टीकूराम जाति खटीक निवासी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
2 छाजूराम पुत्र स्व. टीकूराम जाति खटीक निवास सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

3 कमला देवी पत्नी स्व. टीकूराम जाति खटीक निवास सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
4 जोखीराम पुत्र लीलाराम जाति खटीक निवास सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
5 श्योराम पुत्र लीलाराम जाति खटीक निवास सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
6 रतनलाल पुत्र लीलाराम जाति खटीक निवास सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
7 गुगनराम पुत्र स्व. धन्नाराम जाति खटीक निवास सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
8 औमप्रकाश पुत्र स्व. धन्नाराम जाति खटीक निवास सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
9 बिमला पुत्री स्व. धन्नाराम जाति खटीक निवास सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
10 सम्पति पुत्री स्व. धन्नाराम जाति खटीक निवास सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
11 सुखी पत्नी स्व. धन्नाराम जाति खटीक निवास सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं। दौराने अपील मृतक
12 शम्भुदयाल पुत्र स्व. बालूराम जाति खटीक निवास सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
13 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व. बालूराम जाति खटीक निवास सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
14 जगदीश प्रसाद पुत्र स्व. बालूराम जाति खटीक निवास सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
15 भंवरी देवी पत्नी स्व. बालूराम जाति खटीक निवास सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
16 विद्या पुत्री स्व. बालुराम जाति खटीक निवास सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
17 महेन्द्र कुमार पुत्र स्व. हनुमान प्रसाद जाति खटीक निवास सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
18 प्यारेलाल पुत्र स्व. हनुमान प्रसाद जाति खटीक निवास सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

19 सुभाष पुत्र स्व. हनुमान प्रसाद जाति खटीक निवास सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
20 लाली पुत्री स्व. हनुमान प्रसाद जाति खटीक निवास सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
21 सुमन पुत्री स्व. हनुमान प्रसाद जाति खटीक निवास सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
22 सरवणी देवी पत्नी स्व. हनुमान प्रसाद जाति खटीक निवास सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
23 नोरंगलाल पुत्र प्रेमाराम जाति खटीक निवास सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
24 बाबूलाल पुत्र प्रेमाराम जाति खटीक निवास सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
25 स्नेहीराम पुत्र प्रेमाराम जाति खटीक निवास सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
26 सरबती पुत्री प्रेमाराम जाति खटीक निवास सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
27 पतासी पुत्री प्रेमाराम जाति खटीक निवास सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
28 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्उर तहसीलदार तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम नियमित अपील अ. धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांकित 12.05.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ बमुकदमा उनवानी बजरंगलाल वगै. बनाम जोखीराम वगै. मु.नं. 123/2016 दावा बाबत घोषणार्थ, स्थाई निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री सुरेन्द्र सिंह किशनावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राधेश्याम समरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 25/2/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 123/2016 में पारित निर्णय दिनांक 12.05.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 की ओर से एक वाद घोषणार्थ, स्थाई निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड दुरूस्ती बाबत भूमि खसरा नम्बर हाल 1234, 1401/1234 वाके ग्राम सूरजगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से राजीनामें के आधार पर वाद वादी स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में राजस्व रिकार्ड में दर्शित कदीमी रास्ते को हजफ करने की सिद्धी चाही गई थी जिसका निर्णय वादीगण द्वारा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने से तथा प्रतिवादीगण तहसीलदार सूरजगढ़ को एवं रास्ते से प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर ही किया जाना संभव था परन्तु वाद के पक्षकारों ने इस कोल्यूशिव दावे में कथित तौर पर राजीनामा प्रस्तुत कर विचारण न्यायालय से नक्शासीट से रास्ते के इन्द्राजात को हजफ करने का अपीलाधीन आदेश प्राप्त कर लिया तथा विचारण न्यायालय ने बिना न्यायिक विवेचन किए उक्त राजीनामा के आधार पर प्रचलित कदीमी रास्ते को नक्शासीट से हजफ करने का विधि विरूद्ध आदेश पारित कर दिया। वस्तुस्थिति यह है कि कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 1401/1234, 1234,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व ... सीकर

1235, 1245, 1246, 1248 व 1250 वाके ग्राम सूरजगढ़ में से होते हुए एक कदीमी रास्ता बख्तावरसिंह की ढाणी से रेलवे स्टेशन सूरजगढ़ को जाता है। अपीलान्टस भी उक्त ढाणी बख्तावरसिंह के निवासी है तथा ढाणी बख्तावर सिंह अपीलान्ट की खातेदारी कृषि भूमि अवस्थित है उक्त रास्ता सैकड़ो वर्ष पुराना है जो बख्तावर सिंह की ढाणी की बसासत के समय से लगातार बिना किसी बाधा व कोई रूकावट के निरन्तर चला आ रहा है। जिसका अंकन भूमि प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार नक्शा सीट खसरा गिरदावरी संवत 2071 में एवं नगरपालिका सूरजगढ़ के रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त आम रास्ता अपीलान्टस की कृषि भूमि में जाने का एवं ढाणी बख्तावरसिंह के वासिन्दों का कस्बा सूरजगढ़ व रेलवे स्टेशन का आने का एकमात्र रास्ता है। विचारण न्यायालय ने वादीगण के अभिवचनों की पुष्टि में वादीगण से कोई राजस्व रिकार्ड पेश नहीं करवाया, न ही उक्त प्रचलित कदीमी रास्ते की बाबत मौका रिपोर्ट या कमिश्नर रिपोर्ट प्राप्त की, ना वादीगण अथवा प्रतिवादीगण के सशपथ बयान लिए गए ना तहसीलदार सूरजगढ़ से मौका रिपोर्ट प्राप्त की। वादीगण व प्रतिवादीगण व अन्यों द्वारा सन 2014 में उक्त प्रचलित कदीमी रास्ते को बन्द करने का प्रयास किया गया था जिस पर ढाणी बख्तावरसिंह के वासिन्दों के प्रार्थना पत्र पर हल्का पटवारी से मौका रिपोर्ट लेकर तहसीलदार सूरजगढ़ के आदेश से पटवारी व गिरदावर हल्का द्वारा दिनांक 14.08.2014 को उक्त रास्ता खुलवाया गया था। उक्त रिपोर्ट हल्का पटवारी में भी उक्त रास्ता कदीमी समय से प्रचलित होना तथा उक्त रास्ता रेलवे स्टेशन सूरजगढ़ से ढाणी बख्तावरसिंह तक जाना अंकित है। इस प्रकरण में नगरपालिका सूरजगढ़ द्वारा भी उक्त रास्ते का अंकन कस्बा सूरजगढ़ के मानचित्र में होना दर्ज कर तहसीलदार सूरजगढ़ को उक्त रास्ते का सीमाज्ञान करवाये जाने तथा अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने बाबत लिखा गया। उल्लेखनीय है कि उक्त पटवारी व गिरदावर हल्का कि फर्द मौका रिपोर्ट दिनांकित 14.08.2014 पर वर्तमान वाद प्रतिवादी संख्या 1 जोखीराम के हस्ताक्षर दर्ज है। वर्तमान वाद के प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4, 12, 14 तथा 19 लगायत 21 ने प्रतिवादीगण 10, 11, 14, 15, 16 व 22 तथा अन्यों के विरूद्ध विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ में उक्त प्रश्नगत रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड नक्शासीट से हटाकर रिकार्ड दुरूस्त करवाने बाबत एक दुरभि संधिपूर्ण आवेदन पत्र अ.धारा 136 एल.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

आर. एक्ट उनवानी जोखीराम आदि बनाम राज. सरकार मु.नं. 132/2015 प्रस्तुत किया था जिसे विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा दिनांक 02.12.2015 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि प्रश्नगत कटानी रास्ता मौके पर चालू है जिससे आवागमन होता रहा है उक्त रास्ता को बन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। उक्त आवेदन पत्र में अपीलान्ट संख्या 2 द्वारा आवेदन पत्र अ. आदेश 01 नियम 10 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पक्षकार बनकर जवाबदेही प्रस्तुत की गई थी। इस प्रकार जब इस विवाद बिन्दु पर विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान का आवेदन पत्र अ. धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम दिनांक 02.12.2015 को खारिज कर अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया जो पुनः उसी विषयवस्तु व विवाद पर दायर पश्चातवर्ती दावा रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित होता है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत उक्त दुरभि संधि के वाद में रेस्पोडेन्टस वादीगण द्वारा अपीलान्टस या अन्य किसी भी प्रभावित व्यक्ति को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि उक्त रास्ते की बाबत होने वाले किसी भी निर्णय या आदेश से अपीलान्टस प्रत्यक्षतः प्रभावित होते है क्योंकि अपीलान्टस व ढाणी बख्तावरसिंह के समस्त वासिन्दे उक्त रास्ते को कदीमी समय के उपयोग, उपभोग में लेते आ रहे है। जिससे होकर अपीलान्ट व ढाणी के अन्य वाशिन्दे रेलवे स्टेशन सूरजगढ़ को व अपने खेतों में आते जाते है। वादीगण द्वारा अपीलान्ट को वाद में पक्षकार नहीं बनाने के कारण अपीलान्टस को उक्त वाद की बाबत जानकारी नही हो सकी तथा अपीलान्टस उक्त वाद में विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नही कर सके, जबकि अपीलान्टस उक्त निर्णय से प्रत्यक्षतः प्रभावित है। इस प्रकार अपीलान्टस द्वारा धारा 96 सीपीसी का आवेदन पत्र अपील के साथ पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है। अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमाई जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा उनवानी बजरंगलाल बनाम जोखीराम वगै. मु.नं. 123/2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांकित 12.05.2016 में भूमि खसरा नम्बर 1401/1234 वाके ग्राम सूरजगढ़ में से गुजरने वाले कदीमी रास्ते जिसे वर्तमान नक्शासीट में डबल डोटेड लाइन से दर्शा रखा है, को नक्शासीट में हजफ करने, की बाबत जो निर्णय पारित किया गया है उसे अपास्त फरमाने की कृपा करें। दौराने अपील

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व ... सीकर

बहस अपीलांट ने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर भूमि खेत खसरा नम्बर 1234 का वादीगण को एवं 1401/1234 का प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करने, खसरा नम्बर 1401/1234 के वर्तमान नक्शा सीट में डोटेड लाईन से दर्ज रास्ते को हजफ करने का अनुतोष चाहा गया था। उभयपक्ष द्वारा विचारण न्यायालय में राजीनामा प्रस्तुत कर आदेशिका पर हस्ताक्षर कर वाद डिक्री करने का राजीनामा प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने राजीनामें के आधार पर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया है। अपीलांट विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं है। प्रभावित पक्षकार नहीं है। अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है। अतः अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 1401/1234, 1234, 1235, 1245, 1246, 1248 व 1250 वाके ग्राम सूरजगढ़ में से होते हुए एक कदीमी रास्ता बख्तावरसिंह की ढाणी से रेलवे स्टेशन सूरजगढ़ को जाता है। अपीलान्टस भी उक्त ढाणी बख्तावरसिंह के निवासी है तथा ढाणी बख्तावर सिंह अपीलान्ट की खातेदारी कृषि भूमि अवस्थित है उक्त रास्ता सैकड़ो वर्ष पुराना है जो बख्तावर सिंह की ढाणी की बसासत के समय से लगातार बिना किसी बाधा व कोई रूकावट के निरन्तर चला आ रहा है। जिसका अंकन भूमि प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार नक्शा सीट खसरा गिरदावरी संवत 2071 में एवं नगरपालिका सूरजगढ़ के रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त आम रास्ता अपीलान्टस की कृषि भूमि में जाने का एवं ढाणी बख्तावरसिंह के वासिन्दों का कस्बा सूरजगढ़ व रेलवे स्टेशन का आने का एकमात्र रास्ता है। विचारण न्यायालय ने वादीगण के अभिवचनों की पुष्टि में वादीगण से कोई राजस्व रिकार्ड पेश नहीं करवाया, न ही उक्त प्रचलित कदीमी रास्ते की बाबत मौका रिपोर्ट या कमिश्नर रिपोर्ट प्राप्त की, ना वादीगण अथवा प्रतिवादीगण के सशपथ बयान लिए गए ना तहसीलदार सूरजगढ़ से मौका रिपोर्ट प्राप्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व ... सीकर

की। वादीगण व प्रतिवादीगण व अन्यों द्वारा सन 2014 में उक्त प्रचलित कदीमी रास्ते को बन्द करने का प्रयास किया गया था जिस पर ढाणी बख्तावरसिंह के वासिन्दों के प्रार्थना पत्र पर हल्का पटवारी से मौका रिपोर्ट लेकर तहसीलदार सूरजगढ़ के आदेश से पटवारी व गिरदावर हल्का द्वारा दिनांक 14.08.2014 को उक्त रास्ता खुलवाया गया था। उक्त रिपोर्ट हल्का पटवारी में भी उक्त रास्ता कदीमी समय से प्रचलित होना तथा उक्त रास्ता रेलवे स्टेशन सूरजगढ़ से ढाणी बख्तावरसिंह तक जाना अंकित है। इस प्रकरण में नगरपालिका सूरजगढ़ द्वारा भी उक्त रास्ते का अंकन कस्बा सूरजगढ़ के मानचित्र में होना दर्ज कर तहसीलदार सूरजगढ़ को उक्त रास्ते का सीमाज्ञान करवाये जाने तथा अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने बाबत लिखा गया। उल्लेखनीय है कि उक्त पटवारी व गिरदावर हल्का कि फर्द मौका रिपोर्ट दिनांकित 14.08.2014 पर वर्तमान वाद प्रतिवादी संख्या 1 जोखीराम के हस्ताक्षर दर्ज है। वर्तमान वाद के प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4, 12, 14 तथा 19 लगायत 21 ने प्रतिवादीगण 10, 11, 14, 15, 16 व 22 तथा अन्यों के विरूद्ध विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ में उक्त प्रश्नगत रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड नक्शासीट से हटाकर रिकार्ड दुरूस्त करवाने बाबत एक दुरभि संधिपूर्ण आवेदन पत्र अ.धारा 136 एल.आर. एक्ट उनवानी जोखीराम आदि बनाम राज. सरकार मु.नं. 132/2015 प्रस्तुत किया था जिसे विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा दिनांक 02.12.2015 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि प्रश्नगत कटानी रास्ता मौके पर चालू है जिससे आवागमन होता रहा है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत उक्त दुरभि संधि के वाद में रेस्पोडेन्टस वादीगण द्वारा अपीलान्टस या अन्य किसी भी प्रभावित व्यक्ति को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि उक्त रास्ते की बाबत होने वाले किसी भी निर्णय या आदेश से अपीलान्टस प्रत्यक्षतः प्रभावित होते है क्योंकि अपीलान्टस व ढाणी बख्तावरसिंह के समस्त वासिन्दे उक्त रास्ते को कदीमी समय के उपयोग, उपभोग में लेते आ रहे है। जिससे होकर अपीलान्ट व ढाणी के अन्य वाशिन्दे रेलवे स्टेशन सूरजगढ़ को व अपने खेतों में आते जाते है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज कटानी रास्ता सार्वजनिक सम्पदा होती है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 सीपीसी एवं आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को पक्षकार संयोजित कर जवाबदेही का अवसर प्रदान कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.03.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 25/2/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)